न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3310—पीबीआर / 14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30—8—2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 44 / 11—12 / निगरानी.

राकेश कुमार पुत्र शंकरलाल
निवासी 38 मोहल्ला रैगियाना
हजीरा, ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

1— मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जिला ग्वालियर
2— नरेन्द्र सिंह पुत्र नाथू सिंह
3— कल्याण सिंह (मृतक) पुत्र काशीराम वादहु वारिसान—
अ— श्रीमती शांतिदेवी पत्नी स्व. श्री कल्याण सिंह
ब— रमेश पुत्र स्व. श्री कल्याण सिंह
स— रवि यादव स्व. श्री कल्याण सिंह
4— भंवर सिंह पुत्र काशीराम
निवासीगण चार शहर का नाका, ग्वालियर ....अनावेदकगण
5— राकेश सिंह पुत्र जयसिंह भदौरिया
निवासी शिवाजी नगर, आमखो, लश्कर, ग्वालियर
6— श्रीमती सुनीता जादौन पत्नी राजवीर सिंह जादौन
निवासी पच्चीपाडा पीपल वाली गली
लोहा मण्डी, ग्वालियर
7— दिनेश सिंह चौहान पुत्र केदार सिंह चौहान
निवासी हनुमान नगर, गोले का मंदिर, ग्वालियर
8— श्रीमती अनीता कौरव पत्नी शीतल सिंह कौरव
निवासी ग्राम सेंथरी, मेहगॉव जिला भिण्ड
9— गिरन्द सिंह पुत्र गंगाराम सिंह तोमर
निवासी ग्राम सिहोनिया, मुरैना
10— श्रीमती ज्योति निरंजन पत्नी जगत सिंह निरंजन
निवासी आनंद नगर, रविन्द्र स्कूल के पास
बिरला नगर, ग्वालियर

11– श्रीमती रामाबाई पत्नी सियाराम शर्मा
निवासी नारायण बिहार कॉलौनी,
गोले का मन्दिर, ग्वालियर
12– राजेश सिंह पुत्र जयसिंह भदौरिया
निवासी शिवाजी नगर, आमखो, लश्कर, ग्वालियर
13– रामदीन पुत्र कल्याण प्रसाद शर्मा
निवासी ग्राम पिपरसाना, गोहद जिला भिण्ड
14– देवकीनंदन पुत्र हरीराम
निवासी ग्राम अडोखर, जिला भिण्ड
15– मुन्नीलाल पुत्र चतुर्भज
निवासी ग्राम गढ़ी चैतपुरा
रौन जिला भिण्ड
16– गुट्टेलाल पुत्र मतोले काछी
निवासी ग्राम हमीरपुरा रौन, जिला भिण्ड
17– मुन्नालाल पुत्र परसराम कुशवाह
निवासी जेतपुरा गढ़ी रौन जिला भिण्ड
18– संदीप सिंह पुत्र परसराम कुशवाह
निवासी जेतपुरा गढ़ी रौन जिला भिण्ड
19– लक्ष्मीनारायण पटेल पुत्र महराराज सिंह पटेल
निवासी गौसपुरा, ग्वालियर
20– उषा चौहान पत्नी रामसेवक चौहान
निवासी न्यू रेशम मिल, बिरला नगर, ग्वालियर
21– श्रीमती अनीता देवी पत्नी राजूसिंह राजावत
निवासी जे.सी.मिल बिरला नगर, ग्वालियर
22– श्रीमती गांधी पत्नी दिनेश गांधी
निवासी 578, दर्पण कॉलौनी, मुरार, ग्वालियर
23– श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी दिनेश शर्मा
निवासी ग्राम पिपरसाना गोहद, जिला भिण्ड
हाल निवासी थाटीपुर, ग्वालियर
24– श्रीमती सरला देवी पत्नी नवलकिशोर शर्मा
निवासी ई–66, इन्द्रमणि नगर
गोले का मन्दिर, ग्वालियर
25– अरूण कुमार पुत्र रामस्वरूप शर्मा
निवासी न्यू रामबिहार कॉलौनी
पिन्टो पार्क, मुरार, ग्वालियर
26– श्रीमती साधना तोमर पत्नी मानसिंह तोमर
निवासी गोले का मन्दिर, ग्वालियर
27– शिवरतन सिंह चौहान पुत्र रामबिहारी सिंह चौहान
निवासी नगरिया पोस्ट रिन्टोली
हाल निवासी कुन्जबिहार कॉलौनी
गोले का मन्दिर, ग्वालियर

28– श्रीमती कपूरी देवी पत्नी प्रेमसिंह
निवासी ग्राम सुनारा पुरा मेहगॉव जिला भिण्ड
29– श्रीमती गुड्डी राजावत पत्नी अशोक सिंह राजावत
निवासी नाना नगर भिण्ड रोड, ग्वालियर
30– श्रीमती रामबेटी राठौर पत्नी मानसिंह राठौर
निवासी ग्राम मेघपुरा मेहगॉव जिला भिण्ड
31– श्रीमती ललीता शर्मा पत्नी सुरेश शर्मा
निवासी ग्राम अमलेरा जिला मुरैना
हाल निवासी नाना नगर भिण्ड रोड, ग्वालियर
32– श्रीमती हेमलता पत्नी कोकसिंह परिहार
निवासी सैनिक कॉलौनी, मुरार, ग्वालियर
33– श्रीमती कांति शर्मा पत्नी महेशचंद शर्मा
निवासी ग्राम दिगनेर परगना आगरा (उ.प्र.)
34– श्रीमती आनंदी बाई पत्नी रामबिहार श्रीवास
निवासी ग्राम कतरोल मेहगॉव जिला भिण्ड
हाल निवासी विवेक नगर
मेला ग्राउण्ड के पीछे, ग्वालियर
35– श्रीमती किरण सिंह नरवरिया
पत्नी लोकमन सिंह नरवरिया
निवासी ग्राम आशाखर
पोस्ट नून्हार जिला भिण्ड
36– राजेश मुदगल पुत्र सुदामा लाल मुदगल
निवासी जुगरान सिंह का फार्म
शक्ति नगर, मुरार
37– दयानंद सिंह राजपूत पुत्र लक्ष्मीनारायण
निवासी ग्राम हसनपुरा, मेहगॉव जिला भिण्ड
38– श्रीमती महादेवी शर्मा पत्नी रामप्रकाश शर्मा
निवासी न्यू बिहार कॉलौनी, पिन्टो पार्क, ग्वालियर
39– श्रीमती गुड्डी बाई पत्नी हरीशचंद बघेल
निवासी ग्राम मना परगना व जिला भिण्ड
हाल निवासी नाना नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर
40– श्रीमती रामाबाई पत्नी सियाराम शर्मा
निवासी नारायण बिहार कॉलौनी
गोले का मन्दिर, ग्वालियर
41– श्रीमती खेमाबाई पत्नी हरीलाल
निवासी नाना नगर दिनारपुरा, ग्वालियर
42– श्रीमती स्नेहलता तिवारी पत्नी अमरनाथ तिवारी
निवासी गंगा बिहार कॉलौनी
गोले का मन्दिर, मुरार ग्वालियर
43– श्रीमती ममता शर्मा पत्नी नरेन्द्र शर्मा
निवासी गॉधी कॉलौनी, जिला मुरैना

44– श्रीमती सरोज कुमार पत्नी हरेन्द्र सिंह नरवरिया
निवासी ग्राम देनियापुरा जिला भिण्ड
45– श्रीमती सरिता पत्नी राजकुमार पुत्री रामेन्द्र कुमार
निवासी रामेन्द्र कुमार गौतम, हरिओम मन्दिर के पास
विजय नगर कॉलौनी, आमखो, ग्वालियर
46– श्रीमती शांति देवी पत्नी रामलक्ष्मण
निवासी नदीपार टाल मुरार, ग्वालियर
47– मुरारीलाल, दारासिंह पुत्रगण बलराम प्रजापति
निवासीगण ग्राम रावतपुरा
पोस्ट गोरमी, जिला भिण्ड
48– श्रीमती शांति पत्नी जयसिंह
निवासी ग्राम कंचनपुरा जिला भिण्ड
49– श्रीमती यशोधरा बाई पत्नी लक्ष्मण सिंह प्रजापति
निवासी ग्राम बेरठा तहसील व जिला ग्वालियर
50– श्रीमती शैली जैन पत्नी रामहित जैन
निवासी गंगाराम की शाला, लक्ष्मीबाई कॉलौनी
लश्कर, ग्वालियर
51– श्रीमती रामबेटी पत्नी ब्रम्हानंद
निवासी न्यू कुशल नगर, ग्वालियर
52– श्रीमती ज्ञान सिंह नरवरिया पत्नी हमीर सिंह नरवरिया
निवासी ग्राम जीरू का पुरा जिला भिण्ड
53– श्रीमती सूरजा बाई पत्नी विक्रम सिंह लोधी
निवासी ग्राम सूरतपुर जिला भिण्ड
54– श्रीमती आशा शर्मा पत्नी कुलदीप शर्मा
निवासी ग्राम चन्दुपुरा जिला भिण्ड
55– श्रीमती इन्द्रपती पत्नी बाबूराम प्रजापति
निवासी ग्राम रावतपुरा जिला भिण्ड
56– श्रीमती यशोदा देवी पत्नी अनिल सिंह
निवासी ग्राम पहूकोली जिला भिण्ड
हाल निवासी चन्दनपुर, ग्वालियर
57– श्रीमती फूलमति पाल पत्नी उमेश सिंह पाल
निवासी ग्राम धिरोली गोहद जिला भिण्ड
हाल निवासी हनुमान नगर
गोले का मन्दिर, ग्वालियर
58– श्रीमती धन्तोदेवी पत्नी किशनचंद बघेल
निवासी नाना नगर भिण्ड रोड, ग्वालियर
59– श्रीमती कुसुमलता सिंह पत्नी गंगाराम सिंह
निवासी ग्राम उमरी जिला जालौन (उ.प्र.)
हाल निवासी दीनारपुर ग्वालियर
60– श्रीमती विमला देवी पत्नी विशम्भर सिंह
निवासी ग्राम बेरठा जिला ग्वालियर

61– श्रीमती गंगाश्री बघेल पत्नी रामसेवक बघेल
निवासी नाना नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर
62– श्रीमती अनुपम चौहान पत्नी जितेंद्र सिंह चौहान
निवासी सूर्य बिहार कॉलौनी, पिन्टो पार्क
मुरार जिला ग्वालियर
63– श्रीमती कुसुम पत्नी रामेश्वर सिंह भदौरिया
निवासी सूर्य बिहार कॉलौनी, पिन्टो पार्क
मुरार जिला ग्वालियर
64– श्रीमती श्यामवती पत्नी उदय सिंह भगेल
निवासी भिण्ड नाना नगर भिण्ड रोड जिला ग्वालियर
65– श्रीमती रामसखी पत्नी महीपाल सिंह बघेल
निवासी नाना नगर भिण्ड रोड जिला ग्वालियर
66– श्रीमती पूनम देवी पत्नी दिनेश सिंह कौरव
निवासी ग्राम कंचनपुरा जिला भिण्ड
67– श्रीमती ममता देवी पत्नी कोकसिंह
निवासी नाना नगर भिण्ड रोड जिला ग्वालियर
68– श्रीमती ममता देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह यादव
निवासी चार शहर का नाका, ग्वालियर
69– श्रीमती शांति बघेल पत्नी जयसिंह बघेल
निवासी नाना नगर भिण्ड रोड जिला ग्वालियर
70– श्रीमती सुगुना बाई पत्नी रामचरण शुक्ला
निवासी ग्राम महरोली जिला भिण्ड
71– श्रीमती ममता पत्नी कमल सिंह राठौर
निवासी ग्राम भीकाराम का पुरा गोहद जिला भिण्ड
72– श्रीमती श्रीमती नेहनी देवी पत्नी रामवीर शर्मा
निवासी इन्द्रमुखी जिला मुरैना
73– श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी के.डी. शर्मा
निवासी इन्द्रमुखी जिला मुरैना
74– श्रीमती माधुरी शर्मा पत्नी रामकुमार शर्मा
निवासी ग्राम भंगकरा गोहद जिला भिण्ड
75– श्रीमती मोली पत्नी जितेन्द्र कुशवाहा
निवासी ग्राम पान्डरी जिला भिण्ड
76– श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी रामबहादुर सिंह
निवासी ग्राम डोगरा रामपुरा
तहसील गोहद जिला भिण्ड
77– विकम सिंह रावत पुत्र आनंद कुमार
निवासी नाना नगर भिण्ड रोड
गोले का मन्दिर ग्वालियर
78– श्रीमती श्यामवती पत्नी मुकेश शर्मा
निवासी जोधा नगर कबीर कॉलौनी
मुरार, ग्वालियर

79– श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी हरीबाबू शर्मा
निवासी जोधा नगर कबीर कॉलौनी
मुरार, ग्वालियर

80– श्रीमती कविता देवी पत्नी देवी भूरे सिंह राठौर
निवासी नाना नगर भिण्ड रोड, ग्वालियर

81– श्रीमती विमलेश पत्नी ग्याप्रसाद राठौर
निवासी भीकाराम का पुरा गोहद जिला भिण्ड

82– जितेन्द्र कुशवाह पुत्र देवी सिंह कुशवाह
निवासी न्यू कॉलौनी, हुरावली ग्वालियर

83– श्रीमती रेशमवती पत्नी सुरेश
निवासी नाना नगर भिण्ड रोड, ग्वालियर

84– राजीव भदौरिया पुत्र घनश्याम सिंह भदौरिया
निवासी रेखा नगर, बी.टी.आई. के पीछे, भिण्ड

85– श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नी अशोक शर्मा
निवासी ग्राम अखनोदा जिला भिण्ड
हाल निवासी गंगा बिहार कॉलौनी
मुरार, ग्वालियर

86– सुरेश शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा
निवासी शर्मा फार्मा ग्वालियर

87– श्रीमती नीता बघेल पत्नी मुकेश बघेल
निवासी नाना नगर दीनारपुर, ग्वालियर

88– श्रीमती किरण शर्मा पत्नी राजेश कुमार शर्मा
निवासी डॉग सरकार गोहद जिला भिण्ड

89– रामजीवन भदौरिया
निवासी रेखा नगर बी.टी.आई. रोड, भिण्ड

90– श्रीमती राजकुमारी पत्नी हरजीत सिंह कुशवाह
निवासी न्यू कॉलौनी, ग्वालियर

91– जितेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र देवी सिंह कुशवाह
निवासी न्यू कॉलौनी, ग्वालियर

92– श्रीमती मंजु शर्मा पत्नी कमलेश शर्मा
निवासी न्यू कॉलौनी, बिरला नगर,
आरा मिल ग्वालियर

..............अनावेदक कमांक 5 लगायत 92 तरतीवी अनावेदकगण

श्री एम0के0 जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री राजेन्द्र जैन, अभिषक, अनावेदक कमांक 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/8/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 57 (2) के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्वालियर नगर दीनारपुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 279 / 1 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे कमांक 282 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, सर्वे कमांक 290 रकबा 2 बिस्वा, सर्वे कमांक 299 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, सर्वे कमांक 304 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा पर स्व. विद्यादेवी के पति नाथू सिंह व अनावेदक कमांक 3 एवं 4 के पिता काशीराम तथा उनके दो सगे भाई नेकसिया और गंगाराम का संवत् 2007 के पूर्व से कब्जा रहा है, और वे मौरूसी कृषक रहे हैं । संवत् 2009 में तत्कालीन राजस्व विधि के अनुसार उनके नाम राजस्व अभिलेखों में बहैसियत पक्का कृषक दर्ज किया गया है । समय–समय पर उनके पूर्वजों का स्वर्गवास होता रहा है, और वर्तमान में अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 प्रश्नाधीन भूमि पर मालिक की हैसियत से कृषि कार्य करते चले आ रहें हैं । अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 अनपढ़ हैं, इसलिए राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी । गत जून–जुलाई में पटवारी द्वारा बताया गया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है, और आपका कोई स्वत्व नहीं है, तब उन्हें जानकारी हुई । अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व घोषणा के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, ग्वालियर के समक्ष वाद कमांक 312–ए / 96 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 15–9–99 को आदेश पारित कर उन्हें संहिता की धारा 57 (2) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 4 / 2000–01 / अ–1 दर्ज कर दिनांक 7–6–2002 को आदेश पारित किया जाकर दीनारपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 279 / 1 रकबा

10 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे कमांक 282 / 1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, सर्वे कमांक 290 रकबा 1 बीघा एवं सर्वे कमांक 304 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा का अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 को भूमिस्वामी घोषित करते हुए भूमिस्वामी के रूप में नाम दर्ज करने के निर्देश दिये गये तथा भूअर्जन से अधिग्रहीत की गई भूमि सर्वे कमांक 279 / 2 रकबा 8 बीघा, सर्वे कमांक 282 / 2 रकबा 16 बीघा सर्वे कमांक 290 रकबा 1 बिस्वा एवं सर्वे कमांक 304 रकबा 8 बिस्वा राजस्व विभाग के नाम अंकित करने का आदेश दिया गया । साथ ही सर्वे कमांक 299 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा की प्रविष्टि यथावत रखने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 435 / 09—10 पंजीकृत कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान निगरानी की शक्तियां कलेक्टर को प्राप्त होने से कलेक्टर, ग्वालियर को स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 24 / 2010—11 / स्व. निगरानी दर्ज कर दिनांक दिनांक 26—9—2011 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 7—6—2009 निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30—8—2014 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत जॉच की जाकर पटवारी एवं कास्तकारों के साक्ष्य अंकित कर प्रतिपरीक्षण किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश एकपक्षीय आदेश नहीं है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही 8 वर्ष 6 माह पश्चात की गई है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही के लिए 180 दिवस की समय—सीमा निर्धारित की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि वर्ष 1945 में 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि शासकीय घोषित की गई है, परन्तु प्रश्नाधीन सम्पूर्ण भूमि पर वाणिज्यिक कर विभाग का नाम दर्ज करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 23—3—2011 को आवेदक द्वारा प्रारंभिक आपत्ति कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, परन्तु कलेक्टर द्वारा आपत्ति के संबंध में न तो आदेशिका में उल्लेख किया

गया है, और न ही निराकरण किया गया है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण साक्ष्य के लिए नियत नहीं किया जाकर सीधे अन्तिम आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अनावेदक कमांक 1 म0प्र0 शासन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 57 (2) के अंतर्गत पारित आदेश से व्यथित था तो उसे व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिए था, स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा विक्रय पत्र निरस्त करने में क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई है, क्योंकि विक्रय पत्र निरस्त करने के लिए केवल व्यवहार न्यायालय सक्षम है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि गजट नोटिफिकेशन अपठनीय है, क्योंकि न्यायालय स्वयं मूल गजट नोटिफिकेशन मंगाकर देख सकती था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही की गई थी । अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही करने में कलेक्टर द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया ।

6/ शेष अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेखों में शासकीय होकर वाणिज्य विभाग के नाम से दर्ज है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस आधार के प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का

नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई थी, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । चूंकि आयुक्त की निगरानी की शक्तियां कलेक्टर को प्रत्यावर्तित हो गई थी, इसलिए आयुक्त द्वारा प्रकरण कलेक्टर को भेजने में भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । कलेक्टर द्वारा आवेदक को विधिवत कारण बताओ सूचना पत्र तामील कराया जाकर आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर दिया गया है, परन्तु कलेक्टर के समक्ष आवेदक की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है कि वह प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी है । अतः कलेक्टर द्वारा आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, और कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर